गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ0ग0)

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 27–12–2016 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 27–12–2016 को अपरान्ह 4.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

01	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02	प्रो0 जे.एस. दांगी	सदस्य
03	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
04	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
05	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
06	प्रो0 विशन सिंह राठौड़	सदस्य
07	प्रो0 मुकेश कुमार सिंह	सदस्य
08	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
09	डॉ0 रेणु भट्ट	सदस्य
10	डॉ0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
11	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
12	डॉ0 सीमा राय	विशेष आमंत्रित
13	डॉ0 मोनिका भदौरिया	विशेष आमंत्रित
14	प्रो0 बी.एन. तिवारी (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क0--02 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 10–11–2016 एवं 19–12--2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा पूर्व बैठकों दिनॉक 10–11–2016 एवं 19–12–2016 के कार्यवृत्तों की संपुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गई।

बैठक दिनॉक 10–11–2016 के पूरक विषय कमॉक 04 एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय कमॉक–02 में उल्लेखित अकादमिक प्लानिंग हेतु समिति गठित नहीं है, अतः निर्णय से इस पैरा को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क0--02 डॉ0 सीमा राय, सह–प्राध्यापक, प्राणी विज्ञान विभाग के विरूद्व शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में प्राप्त शिकायत पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ0 मार्को को यह सूचना प्रेषित की जाये कि उनके पत्र को विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की स्थायी समिति में विचारार्थ रखा गया और प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है । यह भी सूचना प्रेषित की जाये कि डॉ0 सीमा राय से उनका पक्ष भी पूछा जा रहा है ।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि डॉ0 सीमा राय से लिखित में उक्त शिकायत के संबंध में डॉ0 सीमा राय का पक्ष प्राप्त किया जाये एवं पक्ष प्राप्त होने के उपरांत शीघ्र ही डॉ0 मार्को को तथ्यात्मक जानकारी प्रेषित की जाये ।

Rony

विषय क0–03 प्राणीशास्त्र विभाग की 2 शोध छात्राओं के आवेदन डीएसटी को भेजने के संदर्भ में प्राप्त पत्र के संबंध में ।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभागाध्यक्ष के प्रभार से डॉ0 सीमा राय को मुक्त करते हुये किसी अन्य शिक्षक को विभागाध्यक्ष का प्रभार प्रदान किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस प्रकरण का उल्लेख करते हुये सभी विभागों को सूचना प्रेषित की जाये कि ऐसी कार्यप्रणाली की किसी भी विभाग में पुनरावृत्ति ना हो । अगर किसी विभाग के छात्र या शोधार्थी से संबंधित समान या मिलता–जुलता कोई प्रकरण पाया जाता है तो उक्त विभाग के संबंधितों के विरूद्व अनुशानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

विषय क0–04 शोधार्थियों की लंबित फेलोशिप भुगतान से संबंधित Ph.D. Regulation R.19.1 एवं R.19.2 में संशोधन बाबत्।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शोध अध्यादेश में संशोधन हेतु उक्त सुझाव को शोध अध्यादेश प्रारूपण समिति को प्रेषित किया जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति में सदस्यों की संख्या पर पुनर्विचार किया ।

विषय क0–05 डॉ0 दिलीप कुमार झा, सहायक प्राध्यापक को अर्थशास्त्र विषय में शोध निर्देशक मान्य किये जाने संबंधी।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ0 दिलीप कुमार झा के प्रकरण पर प्रथमतः फकीर मोहन विश्वविद्यालय से डॉ0 दिलीप कुमार झा के पंजीयन की तिथि तथा उन पर प्रभावी शोध विनियम की जानकारी पत्र प्रेषित कर मंगाई जाये ।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि डॉ0 दिलीप कुमार झा द्वारा शोध उपाधि के लिये शोध कार्यों हेतु उपभोग किये गये अवकाश की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रशासन शाखा जानकारी प्राप्त कर अवकाश का परीक्षण करें एवं तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें।

समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि उपरोक्त बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त होने के उपरांत उचित निर्णय लिया जाये।

विषय क0–06 शैक्षणिक सत्र 2016–17 के अकादमिक कैलेण्डर में किये गये आंशिक संशोधन की सूचना तथा पुष्टि पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अकादमिक कैलेण्डर 2016–17 हेतु ज़ारी आंशिक संशोधन की पुष्टि की जाये।

विषय क्र0–07 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

1. शोध अध्यादेश में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रस्ताव शोध अध्यादेश प्रारूपण समिति को प्रेषित किया जाये। यदि कोई शिक्षक/व्यक्ति किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं, तो वह उक्त समिति को अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं।

2. पत्रकारिता एवं जन संचार, फार्मेसी तथा शुद्व एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के अध्ययन मंडलों के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

3. प्रायोगिक/फील्डवर्क परीक्षाओं के दौरान पर्यवेक्षक (Observer)नियुक्त किये जाने संबंधी प्रावधान पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु पर्यवेक्षक (Observer) नियुक्ति संबंधी प्रावधान को समाप्त किये जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि जिस विभाग में प्रायोगिक /फील्ड वर्क या ऐसी कोई परीक्षा आयोजित की जा जाती है जिसमें पूर्व में पर्यवेक्षक(Observer) नियुक्त किये जाते थे, ऐसी परीक्षाओं के दौरान संबंधित अधिष्ठाता का निरीक्षण (Visit) पर्याप्त माना जाये तथा पर्यवेक्षक के रूप में परीक्षाओं के निरीक्षण हेतु संबंधित अधिष्ठाता अधिकृत होंगे।

4. आंतरिक परीक्षाओं (Internal Assessment) के आयोजन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने अथवा अपरिहार्य कारणों से छात्र–छात्राओं के परीक्षा में ना बैठ पाने की स्थिति में उचित कार्यवाही करने के लिये समिति ने निर्णय लिया कि संबंधित अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष ऐसे प्रकरणों पर कार्यवाही करने/परीक्षा आयोजन कर व्यवधान/व्यथा का निराकरण करने हेतु अधिकृत रहेंगे।

7/12/16

कुलसचिव (कार्यवाहक)

7.12.16

कुलपति/अध्यक्ष